

## FORM NO -III

जज अदालत

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स  
कार्पोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत  
कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत  
कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत  
कार्यालय-वार्डन हाउस, द्वितीय  
तल, सर. पी.एम. रोड़, फार्ट,  
मुम्बई-400001 तथा शाखा  
कार्यालय 302/5, तृतीय तल,  
जयपुर टावर, एम.आई. रोड़,  
जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत  
अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भीवराज सोहनलाल डागी, निवासी  
प्लोट नं. 68, ब्लोक नं. 1, जयनारायण  
व्यास नगर जिला नागौर 341001 एवं  
निवासी क्वाटर नं. 49ए/25/रिजर्व  
पुलिस लाईन मानासर चौकी जिला  
नागौर 341001 एवं कार्यालय पता  
राजस्थान पुलिस लाईन जिला नागौर  
341001
2. ममता देवी भीवराज डागी, निवासी  
क्वाटर नं. 49ए/25/रिजर्व पुलिस  
लाईन मानासर चौकी जिला नागौर  
341001

किसम मुकदमा -सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 संख्या 1.06 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
13.12.19	<p>वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हि प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिये गये मांग नोटिस दिनांक 18.02.2019 जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजने के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध सूची के क्रम सं. 897 व 901 पर दर्शाया गया है। परन्तु उक्त नोटिस किस दिनांक को रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये स्पष्ट नहीं है तथा न ही अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस प्राप्त होने की कोई प्राप्ति रसीद पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की पर्याप्त तामिल नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर नागौर</p>	

